समक्ष *सुवीर सहगल,* न्यायाधीश।

रोहित - *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - *प्रतिवादी*

2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 10347

नवम्बर 02/2020

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226 - योग्यता में कम उम्मीदवारों की नियुक्ति की तारीख से कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति का दावा - सरकारी निर्देशों के अनुसार, सेवा में शामिल होने के लिए नए प्रवेशकर्ता को दी जाने वाली अधिकतम 30 दिन की अवधि और नियुक्ति पत्र जारी होने की तारीख से शुरू होने की अवधि- याचिकाकर्ताओं को सेवा में शामिल होने के लिए दी गई नियुक्ति का कोई प्रस्ताव और निर्देशों में अपेक्षित 30 दिनों की अवधि के बारे में नहीं कहा जा सकता है प्रतिवादियों को आज से 30 दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश, उन्हें आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर पद पर नियुक्ति की पेशकश करना।

माना जाता है कि निर्देशों के अवलोकन से पता चलता है कि सेवा में शामिल होने के लिए नए प्रवेशकर्ता को अधिकतम 30 दिन की अवधि दी जानी है। यह अवधि नियुक्ति पत्र जारी होने की तारीख से शुरू होनी है। हालांकि, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र कभी जारी किया गया था। बल्कि तथ्यों से पता चलता है कि नियुक्ति का कोई प्रस्ताव कभी नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा जारी किए गए WAN (वाइड एरिया नेटवर्क)/ईमेल दिनांक 30.08.2019, अनुलग्नक R-1 के अनुसरण में चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया गया था। अनुलग्नक आर-1 के अवलोकन से पता चलता है कि यह प्रतिवादी नंबर 3 से विभिन्न मुख्यालयों को एक संचार था जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे

चयनित उम्मीदवारों को सूचित करें, जिन्हें संचार में नामित किया गया था, मूल दस्तावेजों के साथ 31.08.2019 को प्रतिवादी नंबर 3 के कार्यालय में रिपोर्ट करने के लिए। इस संचार को नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता है जैसा कि उत्तरदाताओं के वकील द्वारा तर्क देने की मांग की जा रही है।

(पैरा 7)

याचिकाकर्ताओं के वकील *सम्राट मलिक के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के.*

सौरभ गिरधर, एएजी, हरियाणा, उत्तरदाताओं के लिए.

सुवीर सहगल, न्यायाधीश (मौखिक)

1. यह आदेश 2020 के CWP-10347 और 2020 के CWP- 12514 का निपटारा करेगा क्योंकि दोनों मामलों में कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न शामिल है। सुविधा के लिए, 2020 की सीडब्ल्यूपी- 10347, ***रोहित बनाम हरियाणा राज्य और अन्य से तथ्य निकाले जा रहे हैं।***

2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस अदालत से संपर्क किया है ताकि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जा सके कि वे याचिकाकर्ता को योग्यता में कम उम्मीदवारों की नियुक्ति की तारीख से सभी परिणामी लाभों के साथ कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति के लिए अपने दावे पर विचार करने के लिए निर्देश दे सकें और एक और घोषणा के लिए कि निर्देश दिनांक 13.09.2019, अनुबंध पी-4, याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करने में बाधा नहीं है।

3. संक्षेप में तथ्य यह है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 08/2015 के अनुसरण में 09.08.2019, अनुलग्नक पी-1 को अंतिम परिणाम घोषित किया और पुरुष कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पद के लिए याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश की। नियुक्ति पत्र चिकित्सा परीक्षा के बाद जारी किए जाने थे, जो जनवरी, 2020 में

आयोजित की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को चिकित्सकीय रूप से फिट पाया गया था। याचिकाकर्ता की चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्रतिवादी नंबर 3 को 21.01.2020 को प्राप्त हुई थी। प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा पुलिस महानिदेशक, हरियाणा (प्रतिवादी नंबर 2) को दिनांक 18.02.2020, अनुलग्नक पी-2 का एक पत्र भेजा गया था, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा ड्यूटी में शामिल होने के संबंध में आवश्यक निर्देश मांगे गए थे। जवाब में, प्रतिवादी नंबर 2 ने सूचित किया कि सरकारी निर्देश दिनांक 13.09.2019, अनुलग्नक पी -4 के अनुसार कार्रवाई की जाए। हालांकि, इस संचार के बावजूद, याचिकाकर्ता को पद पर नियुक्ति की पेशकश नहीं की गई थी।

4. नोटिस पर, उत्तरदाताओं ने अपना जवाब दायर किया और इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि याचिकाकर्ता को 02.09.2019 को चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, लेकिन वह मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। जनवरी, 2020 में, याचिकाकर्ता को अनजाने में चिकित्सकीय जांच की अनुमति दी गई थी, हालांकि उसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिट पाया गया था और उसके चरित्र का सत्यापन भी किया गया था। जब उन्होंने ज्वाइन करने के लिए दिनांक 18.02.2020 को एक आवेदन प्रस्तुत किया, तो मामला डीजीपी को भेजा गया, जिन्होंने सलाह दी कि दिनांक 13.09.2019 के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता के दावे का इस आधार पर विरोध किया गया है कि दिनांक 13.09.2019, अनुलग्नक पी-4 के निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता को अपनी नई नियुक्ति में शामिल होने के लिए अधिकतम 30 दिनों की अनुमति दी गई थी, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा।

5. मैंने पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को सुना है और उनकी सहायता से कागजी पुस्तकों का अध्ययन किया है|

6. सरकारी निर्देशों दिनांक 13.09.2019, अनुलग्नक पी-4 का

प्रासंगिक उद्धरण, जिसमें व्याख्या की आवश्यकता है, ध्यान देने योग्य है और निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किए गए हैं: -

"2. इस मामले पर सरकार द्वारा पुनर्विचार किया गया है और उपरोक्त सभी निर्देशों के अधिक्रमण में, एचएसएससी या एचपीएससी या किसी अन्य अनुमोदित भर्ती एजेंसी के माध्यम से पहली या बाद की नियुक्ति पर न्यूनतम और अधिकतम शामिल होने के समय के निर्धारण पर नीति निम्नानुसार होगी: -

(i) किसी उम्मीदवार की नई नियुक्ति के मामले में, उसे अपनी नियुक्ति में शामिल होने के लिए अधिकतम 30 दिनों की अवधि की अनुमति दी जा सकती है।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार, जो किसी निजी अथवा सरकारी संगठन/विभाग में पहले से सेवा में है, 30 दिनों के भीतर अथवा वास्तविक कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, जहां प्रशासनिक अपेक्षाएं अनुमत हों, प्रतीक्षा सूची की वैधता की अवधि पर ध्यान दिए बिना उपयुक्त समय विस्तार की अनुमति दे सकता है जो तीन माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) गर्भवती होने के कारण अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित की गई महिला उम्मीदवारों के लिए कार्यभार ग्रहण करने का समय उस अवधि तक बढ़ाया जा सकता है जो आवश्यक समझी जाए बशर्ते कि कारावास की तारीख से छह महीने से अधिक न हो।

(iv) यदि कोई उम्मीदवार, जो उपरोक्त (i), (ii) या (iii) के तहत कवर किया गया है, ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर शामिल नहीं होता है, तो HSSC, HPSC या किसी अन्य अनुमोदित भर्ती एजेंसी द्वारा किए गए उसके चयन को बिना किसी और सूचना के रद्द कर दिया गया माना जाएगा। नियुक्ति पत्र जारी करते समय नियुक्ति अधिकारियों द्वारा इस संबंध में आवश्यक प्रावधान किया जाना चाहिए।

(v) जहां उम्मीदवारों की कम आपूर्ति के कारण जनहित में जॉइनिंग टाइम बढ़ाया जाना है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आदि, मामले को ऊपर निर्दिष्ट अवधि से परे विस्तार के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जा सकता है।

7. अनुदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि सेवा में शामिल होने के लिए नए प्रवेशकर्ता को अधिकतम 30 दिन की अवधि दी जानी है। यह अवधि नियुक्ति पत्र जारी होने की तारीख से शुरू होनी है। हालांकि, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र कभी जारी किया गया था। बल्कि तथ्यों से पता चलता है कि नियुक्ति का कोई प्रस्ताव कभी नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा जारी किए गए डब्ल्यूएएन (वाइड एरिया नेटवर्क)/ईमेल दिनांक 30.08.2019, अनुलग्नक आर-1 के अनुसरण में चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया गया था। अनुलग्नक आर-1 के अवलोकन से पता चलता है कि यह प्रतिवादी नंबर 3 से विभिन्न मुख्यालयों को एक संचार था जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे चयनित उम्मीदवारों को सूचित करें, जिन्हें संचार में नामित किया गया था, मूल दस्तावेजों के साथ 31.08.2019 को प्रतिवादी नंबर 3 के कार्यालय में रिपोर्ट करने के लिए। इस संचार को नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता है जैसा कि उत्तरदाताओं के वकील द्वारा तर्क देने की मांग की जा रही है।

8. इसी तरह, 2020 की सीडब्ल्यूपी-12514 में, प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षक को संबोधित दिनांक 13.09.2019, अनुलग्नक आर-1, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को पुलिस मुख्यालय, पंचकूला में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए थे, एक पीटीएम/वैन संदेश भी था, जो केवल एक अंतर-विभागीय संचार था। दोनों रिट याचिकाओं में, यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज/पत्र संलग्न नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को कोई व्यक्तिगत पत्र संबोधित किया गया था जिसमें उन्हें सेवा में शामिल होने के लिए कहा गया था जिसे नियुक्ति का प्रस्ताव कहा जा सकता है।

9. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं को सेवा में शामिल होने के लिए नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था और 30 दिनों की अवधि जैसा कि दिनांक 13.09.2019 के निर्देशों में विचार किया गया था, अनुबंध पी -4, को शुरू नहीं कहा जा सकता है।

10. परिणामस्वरूप, दोनों रिट याचिकाओं का निपटारा प्रतिवादियों को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वे आज से 30 दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी करें, उन्हें अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने पर पद पर नियुक्ति की पेशकश करें

11. इन निर्देशों के साथ, रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

लक्ष्य गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी , हरियाणा